(8)

समक्ष माननीय अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

PBR/निगरानी/होशंगाबाद/भू.रा./2017/3617 भोपाल

आवेदक —: मदन आ. राधे कतिया

निवासी पीपरपानी तह. बनखेड़ी जिला — होशंगाबाद

भोपाल कैम्प मे 26/9/17 को पेश

//वनाम//

अनावेदक —: वैजन्तीबाई पुत्री हल्के पत्नि बालकिशन कतिया

निवासी दहलवाड़ा खुर्द तह. बनखेड़ी जिला — होशंगाबाद

//निगरानी याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959//

द्वारा अभि. आशीष कुमार गुप्ता

//उत्पन्न//

न्यायालय श्रीभान —: नायब तहसीलदार बनखेड़ी, जिला — होशंगाबाद

26/9/17

पक्षकार —: वैजन्तीबाई वनाम् मदन

आदेश दिनांक —: 01/09/2017 (जिसके द्वारा अंतरिम आपत्ति अमान्य की गई)

राजस्व प्रकरण क्रमांक :- 30/A/27 वर्ष 2016/2017 मौजा पीपरपानी।

पेशी दिनांक —: 26/09/2017

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर/निग./होशं /भू.रा./2017/3617 जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3/10/17	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 1–9–17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदक की ओर से प्रारंभिक आपत्ति प्रस्तुत कर मूल आवेदन पत्र निरस्त करने का अनुरोध किया गया है जिसे निरस्त करने में तहसील न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, क्योंकि बटवारा का प्रकरण प्रारंभिक स्तर पर समाप्त कर दिया जाना न्यायोचित नहीं है । अतः यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।	
	(मनोज गोयल) अध्यक्ष	